

**अध्याय-2**  
**बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट**



## अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

### 2.1 कर प्रबंध

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2018-19 में 45 इकाइयों में से 39 इकाइयों (राजस्व: 37 और व्यय: 02) (कुल 2,02,773 निर्धारण मामलों में से 58,653 कर-निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,442 मामलों में ₹ 1,730.24 करोड़ कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कर का अवनिर्धारण	312	392.70
2.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	361	231.93
3.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	75	345.28
4.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	277	497.62
5.	अन्य अनियमितताएं	339	152.08
	<b>कुल (I)</b>	<b>1,364</b>	<b>1,619.61</b>
व्यय			
1.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	106.39
2.	अन्य अनियमितताएं	77	4.24
	<b>कुल (II)</b>	<b>78</b>	<b>110.63</b>
	<b>कुल योग (I+II)</b>	<b>1,442</b>	<b>1,730.24</b>


चार्ट 2.1

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.2

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 219 मामलों में आवेष्टित ₹ 547.10 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने वर्ष से संबंधित 61 मामलों में ₹ 0.75 करोड़ वसूल किए।

₹ 331.13 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.3 बिक्रियों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन

17 डीलरों ने ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री को छिपा दिया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.06 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 180.17 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे, रिटर्न या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

माल के जाली कर चालान या काल्पनिक लेखांकन जारी करके कर के अपवंचन को रोकने के लिए ई.टी.सी., हरियाणा ने एक वर्ष में एक ही वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के कुल बिक्री/खरीद के लेन-देनों के सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए (मार्च 2006)।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और दिसंबर 2018) ने प्रकट किया कि आठ<sup>1</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के कार्यालय में 19 मामलों में 17 डीलरों ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए अपनी तिमाही/वार्षिक रिटर्न में ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री नहीं दिखाई थी, यद्यपि क्रय डीलरों ने इन डीलरों से की गई खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा किया था। विभाग द्वारा बिक्री/खरीद लेन-देन वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे और कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में बिक्री के छिपाव के विवरण सत्यापित नहीं किए, परिणामस्वरूप ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ जिसमें ₹ 60.06 करोड़ का कर शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.06 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 180.17 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) और पानीपत ने बताया कि चार मामलों में ₹ 2.35 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी अंबाला ने सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। चार कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (जून 2018 तथा मार्च 2019) कि 10 मामलों में डीलरों को पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए गए थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया कि एक मामले में डी-नोवो निर्धारण आरंभ किया गया था। ई.टी.ओ.-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, करनाल ने बताया कि दो मामलों का निर्धारण किया गया था और ₹ 157.40 करोड़ के कर एवं पेनल्टी के उद्गृहण के लिए दंडात्मक कार्यवाही की गई थी और एक मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था।

मामला जुलाई 2018 एवं जनवरी 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जुलाई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

<sup>1</sup> अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), करनाल, मेवात तथा पानीपत।

विभाग, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के कुल बिक्री लेनदेनों का सत्यापन करे।

#### 2.4 खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

एक डीलर ने अपनी ₹ 3.81 करोड़ की खरीद को छिपा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.50 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किये जाने योग्य है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त 2017) कि वर्ष 2012-13 के लिए एक डीलर ने ₹ 9.70 करोड़ की बैटरियों की खरीद की, लेकिन ट्रेडिंग खातों में केवल ₹ 5.89 करोड़ की खरीद को लेखांकित किया। इस प्रकार, डीलर ने अपनी ₹ 3.81 करोड़ की खरीद को छिपा दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50<sup>2</sup> करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.50 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जनवरी 2020) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

मामला नवंबर 2017 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के कुल खरीद लेनदेनों का सत्यापन करे।

<sup>2</sup> छिपाव की राशि = ₹ 3,80,64,236 कर-योग्य राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर पर जमा कर राशि की 5 प्रतिशत दर पर सरचार्ज = ₹ 49,95,931

## 2.5 कैपिटल गुड्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर गलत ढंग से अनुमत इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 5.00 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल के संबंध में इनपुट टैक्स, उसे ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। माल, जो बिक्री के माध्यम से अन्यथा निपटाया जाता है, पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय है।

**2.5.1** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (मई 2017) कि एक डीलर, जो सिंथेटिक रबर उत्पादों का विनिर्माता था, ने एक ठेकेदार को भवन निर्माण का अनुबंध प्रदान किया। ठेकेदार ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान डीलर को ₹ 60.11 करोड़ के भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। डीलर ने भवन निर्माण सामग्री की खरीद पर ₹ 4.79 करोड़ की आई.टी.सी. का दावा किया। अगस्त 2013 और अगस्त 2014 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 8 में निहित प्रावधान के रूप में इनपुट टैक्स की स्वीकार्यता का सत्यापन किए बिना आई.टी.सी. के लाभ की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.79 करोड़ के पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. के अनुचित लाभ की अनुमति दी गई।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (मार्च 2019) कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए हैं।

**2.5.2** जैसा कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची ई में वर्णित है, के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है जब इन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला ने भी 2011 में अनुदेश जारी किए थे कि यदि पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ऐसे माल की खरीद पर भुगतान किए गए वैट के संबंध में आई.टी.सी. 'शून्य' होगा। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (फरवरी और सितंबर 2018) कि एक डीलर ने 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान ₹ 4.25 करोड़ का पेट कोक खरीदा और उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया तथा ₹ 0.21 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। मार्च 2017 और मार्च 2018 के मध्य इन मामलों में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने आई.टी.सी. अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के आई.टी.सी. की अतिरिक्त अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़<sup>3</sup> का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

<sup>3</sup> ₹ 13,73,304 X 2 X 1,239/(30X100) = ₹ 11,34,349  
 ₹ 7,51,770 X 2 X 1,231/(30X100) = ₹ 6,16,952  
 कुल = ₹ 17,51,301

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (फरवरी तथा सितंबर 2018) कि ये मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे।

मामला फरवरी 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा मार्च एवं मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता का सत्यापन करे।

## 2.6 बेचे न गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ड्यूटी एनटाईटलमेंट पास बुक की खरीद पर अदेय इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे की अनुमति दे दी, जो डीलर द्वारा बेची नहीं गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.75 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अधीन, माल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) सीधे माल की बिक्री पर या राज्य या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में उससे उत्पादित माल पर कर देयता के विरुद्ध अनुमत है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. तभी स्वीकार्य है, जब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को फिर से बिक्री के लिए खरीदा जाता है और यदि इनका उपयोग सीमा शुल्क के समायोजन के लिए किया गया हो तो आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (फरवरी 2018) कि वर्ष 2013-14 के दौरान एक डीलर ने ₹ 0.93 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 17.78 करोड़ मूल्य के ड्यूटी एनटाईटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) खरीदी। डीलर ने इन्हें अपने द्वारा देय सीमा शुल्क के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (डी.ई.पी.बी.) बेचा नहीं गया था, कोई भी आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं था। तथापि, मार्च 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने आई.टी.सी. की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.75 करोड़<sup>4</sup> का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी रेवाड़ी ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

मामला मई 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा अप्रैल 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग को फिर से बिक्री के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की खरीद को सत्यापित करना चाहिए न कि कस्टम ड्यूटी का समायोजन हेतु, ताकि सही आई.टी.सी. दिया जा सके।

<sup>4</sup> दो प्रतिशत की दर पर ब्याज (1/11/2013 से 03/03/2017)= ₹ 93.34.383X2X1213 = ₹ 75,48,404  
100X30



## 2.7 परिगणना में गलती के कारण कर का अवनिर्धारण

**कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने परिगणना में गलती के कारण ₹ 26.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 18.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।**

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अधीन, कोई कराधान प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी समय, उसके द्वारा किसी भी मामले में पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के मध्य विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड पूर्णतया स्पष्ट किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए यदि चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**2.7.1** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रोहतक और सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जुलाई और सितंबर 2018) कि चार डीलरों ने 2014-15 के दौरान ₹ 14.48 करोड़ की बिक्री की। जनवरी और मार्च 2018 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 0.84 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 0.72 करोड़ के कर का निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.12 करोड़<sup>5</sup> के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.10 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी रोहतक और सोनीपत ने जुलाई और अक्टूबर 2018 के मध्य बताया कि इन मामलों का पुनर्निर्धारण किया गया था और ₹ 0.24 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

मामला फरवरी 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा मार्च 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

**2.7.2** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जनवरी 2019) कि एक डीलर ने 2014-15 के दौरान ₹ 221.04 करोड़ मूल्य

5

टी.आई.एन.	उद्ग्राह्य कर	उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत कर	ब्याज की राशि (राशि ₹ में)
06702818009	29,20,144	20,20,143	9,00,001	$9,00,001 \times 2 \times 1236/30 \times 100 = 7,41,600$
06813006752	43,86,785	42,80,989	1,05,796	$1,05,796 \times 2 \times 1229/30 \times 100 = 86,682$
06313013526	5,27,443	4,27,442	1,00,001	$1,00,001 \times 2 \times 1169/30 \times 100 = 77,934$
06143006878	5,45,143	4,54,143	91,000	$91,000 \times 2 \times 1232/30 \times 100 = 74,741$
<b>कुल</b>	<b>83,79,515</b>	<b>71,82,717</b>	<b>11,96,798</b>	<b>9,80,957</b>

की बिक्री की। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2018) कर-निर्धारण प्राधिकारी ने परिगणना की गलती के कारण ₹ 29.01 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 2.90 करोड़ के कर का निर्धारण किया और उस पर ₹ 20.94 करोड़ की बजाय ₹ 2.41 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.11 करोड़ के कर और ₹ 18.53 करोड़<sup>6</sup> के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (पश्चिम) ने अप्रैल 2019 में ₹ 44.64 करोड़ की मांग सृजित की थी।

मामला अप्रैल 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग सभी गणनाओं की जांच करना सुनिश्चित करे ताकि गलतियों से बचा जा सके।

## 2.8 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ डीलरों के कर की गलत दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दरें अनुसूची 'ए' से 'जी' तक के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत उपभोग्य माल के अतिरिक्त कोई भी उपभोग्य माल 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर-योग्य है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज देय है। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2017 और सितंबर 2018) ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>7</sup> के कार्यालय में नौ डीलरों के 10 मामलों में निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2017 से मार्च 2018) माल की बिक्री पर कर की लागू दर से कम दर पर निर्धारण किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	निर्धारण वर्ष/निपटान	उपभोग्य माल	राशि	उद्गृहीत कर	उद्गृहीत कर	कर का कम उद्ग्रहण	ब्याज	विभागीय उत्तर
1	फरीदाबाद (उत्तर)	528 दिनांक 31.10.17 2015-16	हरियाणा पर्यटन निगम कार्य	97,88,176	12,84,698	5,13,879	7,70,819	3,75,132	स्वतःकार्रवाई (मार्च 2019)
2	गुरुग्राम (उत्तर)	474 दिनांक 22.03.18 2014-15	ऑटो पार्ट्स	2,80,31,087	36,79,080	14,71,632	22,07,448	18,20,409	₹ 32,13,065 की मांग सृजित की गई (जुलाई 2019)

<sup>6</sup> उद्ग्राह्य ब्याज ₹ 20,94,04,495 - ₹ 2,41,41,138 (उद्गृहीत ब्याज) = ₹ 18,52,63,357

<sup>7</sup> फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (उत्तर), करनाल, जींद तथा पंचकुला।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	निर्धारण वर्ष/निपटान	उपभोग्य माल	राशि	उद्गृहीत कर	उद्गृहीत कर	कर का कम उद्ग्रहण	ब्याज	विभागीय उत्तर
3	करनाल	1208 दिनांक 21.03.17 2013-14	जौ माल्ट और माल्ट अर्क	4,35,49,422	57,15,862	22,86,345	34,29,517	28,25,922	स्वतःकार्रवाई (अप्रैल 2018)
4	गुरुग्राम (उत्तर)	1179 दिनांक 14.03.17 2013-14	बिस्किट, केक, टॉफी, चॉकलेट और कॉस्मेटिक आइटम	1,31,16,326	17,21,518	6,01,746	11,19,772	10,54,825	स्वतःकार्रवाई (अगस्त 2019)
5	गुरुग्राम (उत्तर)	42 दिनांक 16.03.17 2013-14	फिल्टर	2,96,13,996	38,86,837	15,54,735	23,32,102	13,46,400	स्वतःकार्रवाई (अगस्त 2019)
6	करनाल	1207 दिनांक 21.03.17 2013-14	तरल ग्लूकोज, माल्टो डैक्सट्रिन पाउडर, गैर-डेयरी क्रीम और नूडल्स	16,06,69,374	2,10,87,855	84,35,142	1,26,52,713	1,04,25,836	स्वतःकार्रवाई (अप्रैल 2018)
7	गुरुग्राम (उत्तर)	70 दिनांक 29.03.17 2013-14	पनीर	1,63,35,986	21,44,098	8,57,639	12,86,459	10,66,903	डीलर को नोटिस जारी किया गया है (दिसंबर 2018)
	गुरुग्राम (उत्तर)	496 दिनांक 27.03.18 2014-15	पनीर	2,44,86,490	32,13,852	12,85,541	19,28,311	15,96,642	-सम-
8	जौद	770 दिनांक 30.03.18 2014-15	पनीर	3,65,11,488	47,92,133	19,16,853	28,75,280	23,86,482	मामला आर.ए. (आई.) रोहतक को भेजा गया (अगस्त 2019)
9	पंचकुला	1387 दिनांक 28.03.17 2013-14	सुरक्षा प्रणालियाँ	24,85,05,160	3,26,16,302	1,30,46,521	1,95,69,781	1,62,16,825	पुनरीक्षण प्राधिकारी ने मामले में ₹ 1,95,69,781 की अतिरिक्त मांग का निर्णय लिया है। हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी डीलर की अपील खारिज कर दी।
कुल				61,06,07,505	8,01,42,235	3,19,70,033	4,81,72,202	3,91,15,376	

कर की गलत दर के परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (उत्तर) ने एक मामले में सूचित किया कि ₹ 32.13 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और दो मामलों में डीलरों को नोटिस जारी किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। डी.ई.टी.सी. पंचकुला ने सूचित किया कि एक मामले में ₹ 1.96 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। आगे, यह सूचित किया गया था कि शेष छः मामलों में मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

मामला अक्टूबर 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जनवरी 2020 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए मामलों की विस्तृत जांच करे कि सही कर दरें उद्गृहीत की जा रही हैं।

## 2.9 सकल टर्न ओवर में उत्पाद शुल्क को शामिल न किए जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 199.76 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 188.39 करोड़ के सकल टर्न ओवर का निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.22 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (जैड.जी.) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 'बिक्री मूल्य' का अर्थ किसी भी माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किसी डीलर को देय राशि है, बिक्री के समय किसी भी राशि को नकद या व्यापार छूट के रूप में अभ्यास, व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित, के अनुसार अनुमति दी जाती है, लेकिन डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी चीज के लिए किसी भी राशि का समावेश, जिसमें भाड़ा, भंडारण अवमूल्यन, बीमा, हैंडलिंग प्रभार, उपकर, उत्पाद शुल्क, वजन, पैकिंग प्रभार, वारंटी, ड्राइंग और डिजाइनिंग, सेवा प्रभार और अन्य आकस्मिक व्यय के कारण कोई भी राशि शामिल होगी। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2018) ने प्रकट किया कि वर्ष 2014-15 के लिए डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय में एक डीलर के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) में ₹ 11.37 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने जी.टी.ओ. का निर्धारण गलत ढंग से ₹ 199.76 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 188.39 करोड़ के रूप में किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.22 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2018), कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जून 2019) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

मामला मार्च 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जुलाई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, उचित सकल टर्नओवर पर विचार करने के लिए जी.टी.ओ. में सभी आकस्मिक व्ययों को शामिल करते हुए निर्धारण के समय सभी निर्धारण अधिकारियों को अनुदेश जारी करे।

## 2.10 हैंडलिंग प्रभारों पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय हैंडलिंग प्रभारों पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (जैड.जी.) के अंतर्गत 'बिक्री मूल्य' का अर्थ किसी भी माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किसी डीलर को देय राशि है, बिक्री के समय किसी भी राशि को नकद या व्यापार छूट के रूप में अभ्यास, व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित, के अनुसार अनुमति दी जाती है, लेकिन डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी चीज के लिए किसी भी राशि का समावेश और अभिव्यक्ति "खरीद मूल्य" तदनुसार निर्धारित किया जाएगा। मैसर्स हिंसार ऑटोमोबाइल्स, हिंसार और विपुल मोटर्स, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में माननीय हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया कि ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा प्राप्त हैंडलिंग प्रभार बिक्री मूल्य का हिस्सा हैं तथा कर के लिए उत्तरदायी हैं (जुलाई 2017)। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज देय है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (फरवरी और अगस्त 2018) कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए एक ऑटोमोबाइल डीलर ने ₹ 1.71 करोड़<sup>8</sup> मूल्य की ऑटोमोबाइल बिक्री से प्राप्तियाँ और हैंडलिंग प्रभारों की प्राप्तियाँ दिखाईं। ऑटोमोबाइल, अवर्गीकृत होने के कारण सामान्य दर पर 12.5 प्रतिशत एवं सरचार्ज कर योग्य है। तथापि, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 2017 और फरवरी 2018) हैंडलिंग प्रभारों पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.18 करोड़<sup>9</sup> का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (फरवरी और अगस्त 2018) कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

मामला जून तथा अक्टूबर 2018 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा फरवरी 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, सभी कर-निर्धारण प्राधिकारियों को निर्धारण के समय विभाग द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों और न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के लिए अनुदेश जारी करे।

<sup>8</sup> 2013-14 = ₹ 74,73,912

2014-15 = ₹ 95,87,373

<sup>9</sup> ₹ 9,80,951 X 1,190 X 2% / 30 = ₹ 7,78,221

₹ 12,58,343 X 1,193 X 2% / 30 = ₹ 10,00,802

## 2.11 अवैध फार्म 'एफ' के विरुद्ध कर लाभ की अनुमति

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 43.84 करोड़ के शाखा स्थानांतरण/प्रेषण की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (ए) (1) में प्रावधान है कि जहां कोई डीलर इस आधार पर कि ऐसे माल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे में उसके व्यापार या उसके एजेंट या प्रमुख के किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के स्थानांतरण के कारण घटित हुआ था, दावा करता है कि इस अधिनियम के अधीन वह कर के भुगतान करने का दायी नहीं है, इस प्रयोजन के लिए वह व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रमुख द्वारा हस्ताक्षित फार्म 'एफ' में एक घोषणा कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) को प्रस्तुत करे। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना या गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (परिहार्य कर का तीन गुणा/दावा किया गया हितलाभ) के लिए प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 को डीलरों के कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले ₹ एक लाख से अधिक के अंतःराज्यीय और अंतरराज्यीय लेन-देन को सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद और कैथल के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त और अक्टूबर 2018) कि 10 डीलरों ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए राजस्थान और दिल्ली में स्थित दो फर्मों को ₹ 43.84 करोड़ की राशि की उनकी शाखा स्थानांतरणों/प्रेषण बिक्री पर छूट का दावा किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने राजस्थान और दिल्ली में स्थित अपनी-अपनी शाखाओं/एजेंटों से प्राप्त 73 'एफ' फार्म प्रस्तुत किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2017 और मई 2018 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और संबंधित अनुदेशों के अनुसार सत्यापन किए बिना प्रस्तुत घोषणाओं पर आधारित छूटों की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने ये 73 'एफ' फार्म सत्यापन के लिए राजस्थान और दिल्ली के संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिए। व्यापार और कर विभाग, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2019 में सूचित किया कि दो फर्मों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था (रद्द करने की तारीख 23 सितंबर 2015, 21 अप्रैल 2014 से प्रभावी) और एक फर्म द्वारा जारी किए गए 'एफ' फॉर्मों को रद्द करना प्रक्रियाधीन था (रद्द करने की तारीख प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किया गया है)। राजस्थान के संबंधित प्राधिकारियों ने सूचित किया कि दो फर्मों का पंजीकरण और उनके द्वारा जारी किए गए 'एफ' फॉर्मों को रद्द कर दिया गया था (रद्द करने की तारीख 31 मार्च 2017, 01 अगस्त 2013 से प्रभावी और रद्द करने की तारीख 01 अप्रैल 2013 से प्रभावी)। इस प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कर ₹ 2.30 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. कैथल ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि 20 अवैध 'एफ' फार्मों में ₹ 1.48 करोड़ की मांग सृजित की गई थी और शेष छ: 'एफ' फार्मों पर कार्रवाई विचाराधीन है। डी.ई.टी.सी. जौद ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि डीलर को दो 'एफ' फार्मों के लिए नोटिस जारी किया गया है और शेष 45 'एफ' फार्मों में मामले सत्यापनाधीन हैं।

मामला जनवरी 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा दिसंबर 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग विधिवत सत्यापन के बाद अंत:राज्यीय और अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ पर रियायत देने के अपने निर्देशों को कड़ाई के साथ लागू करे।

## 2.12 ब्याज का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 14 (6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (सितंबर और अक्टूबर 2018) कि दो डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ₹ 2,21,54,609 के देय कर के बदले ₹ 1,21,70,591 की राशि के कर का भुगतान किया। मार्च 2018 में वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़<sup>10</sup> के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

<sup>10</sup> कुल देय कर = ₹ 2,21,54,609 - ₹ 1,21,70,591 (भुगतान नहीं किया गया कर) = ₹ 99,84,018.  
ब्याज गणना का विवरण नीचे दिया गया है:

भुगतान नहीं किया गया कर	देरी से जमा किया गया कर दिनों में	उद्ग्रह्य ब्याज
₹ 99,84,018	415 से 1369 दिन	₹ 99,84,018X2%X1369/30 = ₹ 88,12,476
₹ 91,34,012	367 से 548 दिन	₹ 91,34,012X2%X548/30 = ₹ 27,12,651
कुल		₹ 1,15,25,127

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी अंबाला कैंट ने सितंबर 2018 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था तथा एक अन्य मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी अंबाला शहर ने सूचित किया कि डीलर को नोटिस जारी कर दिया गया था।

मामला अक्टूबर 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा अप्रैल 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए ब्याज राशि की वसूली सुनिश्चित करे।

### 2.13 कर-योग्य माल पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ₹ 6.03 करोड़ की बिक्री का कर-मुक्त बिक्री के रूप में निर्धारण किया, जिसमें ₹ 1.80 करोड़ का कर-योग्य माल शामिल था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.54 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iii) और (iv) के अंतर्गत अनुसूची 'सी' में वर्गीकृत माल 15 फरवरी 2010 से पांच प्रतिशत की दर पर कर-योग्य है तथा अवर्गीकृत माल 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर कर-योग्य है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी देय है। आगे, धारा 38 में झूठी सूचना या गलत लेखाओं या दस्तावेजों के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (परिहार्य कर/दावा किया गया हितलाभ तथा तीन गुणा पेनल्टी) के लिए प्रावधान है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जुलाई 2018) कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए डीलर के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 6.03 करोड़ की बिक्री का कर-मुक्त बिक्री के रूप में निर्धारण किया। तथापि, पंजाब के आबकारी और कराधान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से लेखापरीक्षा द्वारा किए गए क्रॉस सत्यापन ने प्रकट किया कि ₹ 1.80 करोड़ मूल्य के कॉस्मेटिक सामान, मोबाइल आदि की कर-योग्य बिक्री कुल बिक्री में शामिल थी। इस प्रकार, कर-मुक्त के रूप में ₹ 1.80 करोड़ के कर-योग्य माल की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़<sup>11</sup> के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.54 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी पंचकुला ने नवंबर 2018 में सूचित किया कि ₹ 3.17 करोड़ की मांग सृजित की गई थी।

मामला अक्टूबर 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

<sup>11</sup> ₹ 1,10,29,171 पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर-योग्य जमा सरचार्ज = ₹ 14,47,579 जमा ₹ 69,37,131 पर पाँच प्रतिशत की दर पर कर-योग्य जमा सरचार्ज = ₹ 3,64,199 कर का कुल योग = ₹ 18,11,778



विभाग इस बात की जांच करे कि क्या ऐसे और भी मामले हैं जहां कर छूट की अनुमति गलत तरीके से दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के संबंध में शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

#### 2.14 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के स्टॉक को छिपाने के लिए अदेय इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 14.27 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य के बाहर निर्यात, माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है तो ऐसा प्राधिकारी ऐसे डीलर को सुनवाई के उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किये जाने योग्य है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान तीन<sup>12</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (मई तथा अगस्त 2018) कि 10 डीलरों के 11 मामलों में, डीलरों ने अपनी ₹ 45.57 करोड़ की खरीद/बिक्री/स्टॉक को कम बताया और स्टॉक इत्यादि छिपाकर अदेय आई.टी.सी. का दावा करके ₹ 4.76 करोड़ के कर का अपवंचन किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने आई.टी.सी. को अस्वीकृत कर दिया/कर उद्ग्रहीत किया परंतु एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.27 करोड़ की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

मई और सितंबर 2018 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, आठ मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) तथा जींद ने सूचित किया (जुलाई 2018 से अगस्त 2019) कि ₹ 11.23 करोड़ की मांग/पेनल्टी लगाई गई/सृजित की गई और वसूली की कार्यवाही आरंभ की गई। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था और एक अन्य मामले में डीलर ने जे.ई.टी.सी. (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी (रोहतक) ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई थी।

12

क्र.सं.	डी.ई.टी.सी./ई.टी.ओ.	निर्धारित मामले	लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए मामले
1	गुरुग्राम (उत्तर)	8,892	2,361
2	जींद	5,695	1,559
3	रोहतक	6,305	1,580
	कुल	20,892	5,500

मामला अक्टूबर 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा दिसंबर 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राशि की वसूली सुनिश्चित करे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।